भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/35/2016/ एफ.सी. /2505 दिनांकः 07/02/2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : **जनपद – उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ज्ञानसू–साल्ड–उपरीकोट मोटर मार्ग के कि0मी0 14.00 से निसमोर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.238 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 1795/FP/UK/ROAD/15408/2015, देहरादून दिनांक 22.01.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, के पत्र दिनांक 05.04.2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी गई थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 19.11.2018 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तों की अनुपालन अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार **जनपद – उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ज्ञानसू–साल्ड–उपरीकोट मोटर मार्ग के कि0मी0 14.00 से निसमोर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.238 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन** हेतु **विधिवत् स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अंतर्गत 238 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।
3. State Govt. may submit the plantation scheme of 238 saplings with area detail and corresponding KML to this office before issuing final order.
4. State Govt. may also submit the undertaking for strip plantation to this office before issuing final order.
5. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।

8. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।

9. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में स्ट्रिप plantation की जाएगी।

10. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।

11. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 18 से अधिक न हो।

12. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा back bearing भी अंकित किया जाएगा।

13. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

14. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

15. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।

उपरोक्त शर्तो मे से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नही पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तो की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।

भवदीय,

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)